22

शा.सं. 830/III-(2)/08-29(प्रा.आ.)/07 देहरादून दि. 24

प्रदीप सिंह रावत,
उप सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,
मुख्य अभियन्ता स्तर–1,
लोक निर्माण विभाग
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग–2 देहरादून, दिनांक 25 मार्च, 2008

विषयः– वित्तीय वर्ष 2007–08 में स्पेशल कम्पोनेन्ट सब प्लान(एस0सी0एस0पी0) के अन्तर्गत 48 नये कार्यों की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सदर्भ मे मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सलग्न सूची के अनुसार उपलब्ध कराये 48(अडतालीस) कार्यो के लागत कुल रूप्ये 10656.15 लाख के आगणनों पर टी.ए.सी. वित्त द्वारा परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पायी गयी धनराशि रूपये 9901.21 लाख (रूपये निन्यानवे करोड एक लाख इक्कईस हजार मात्र) की धनराशि की उनके सम्मुख कालम–5 पर अंकित सलग्न विवरणानुसार प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए कार्य प्रारम्भ करने हेतु प्रत्येक कार्य के लिये उनके सम्मुख कॉलम–6 में अंकित विवरणानुसार कुल रू0 4.80 लाख (रू0 चार लाख अस्सी हजार मात्र) की धनराशि की वर्तमान वित्तीय वर्ष 2007–08 में व्यय करने की भी श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

2. आगणन में उल्लिखित दरें का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरें को जो दरें शिडयूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं है, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा। कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वन भूमि एवं निजी भूमि आदि की कार्यवाही की जाय, तथा भूमि का भुगतान नियमानुसार प्रथम वरीयता के आधार पर किया जाय एवं भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित कर कब्जा प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जाय।

3. कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

4. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

5. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वन विभाग की स्वीकृति जिन कार्यो मे आवश्यक हो, प्राप्त करके ही धनराशि का आहरण किया जायेगा।

6. एकमुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

7. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों के अनुरूप ही कार्यो को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

8. कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली भाँति निरीक्षण उच्चाधिकारियों एवं भू–गर्भवेत्ता के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाय।

9. आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

10. निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा ली जाय, तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाय।

11. [illegible]

	मोटर मार्ग का निर्माण			
39.	अदवाणी नाहसण वहडाखाल मोटर मार्ग के क0मी0 23 मे से भण्डाहू-डगलवार अमसारी-भूतरीणी तक मोटर मार्ग का नव निर्माण	5.00	86.25	86.25
40.	घिण्डवाडा-दजूण-गोंदी-भरांडा-पयालगाव तक मोटर मार्ग का नव निर्माण सेतु सहित	14.6 मी0 सेतु	251.10	251.10
41	व्यासघाट के खाण्डा मोटर मार्ग का सुधारीकरण एव डामरीकरण	10.00	185.00	185.00
42.	पौडी मे रामकुण्ड-देवप्रयाग से चुर्थ तक मोटर मार्ग का निर्माण	7.00	120.75	120.75
43.	बहेडाखाल खाण्डा मोटर मार्ग से खाण्डा गाव तक मोटर मार्ग का निर्माण	1.5	25.87	25.87
44.	जनपद हरिद्वार के भगवान पुर ब्लाक मे हरिजन बाहुल्य क्षत्र मे बन्आरवाला से तेलपुरा-खंडी-शिकोहपुर-शिकरोढा-हजलारा-दुगावाला-फिराजपुर मार्ग का निर्माण		1846.35	1766.59
45.	पिथौरागढ मे कनालीछीना से ल्वांठी गॉव तक मोटर मार्ग का कार्य	3.00+ [illegible] सेतु	94.80	84.00
46	पिथौरागढ मे भागीचोरा-शक्तिपुर-बगल्ना गॉव तक मोटर मार्ग का निर्माण	12.00+1 सेतु	309.00	265.80
47.	दडधरखाल-गूम से बागी तक मोटर मार्ग का निर्माण दो सेतुओ सहित	8.00+ 35मी0 एव 25मी0	234.40	[illegible]
48.	उधमसिंह नगर के अन्तर्गत रा0राजमार्ग कि0मी0 4 से शक्तिफार्म तक सम्पर्क मार्ग का पुन. निर्माण	3.00	47.88	47.88
	कुल योग		10656.15	9901.21

R. motor ... 173

पत्रांक 1442/2 प0नि0-3/08 दि0 29/3/09

प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0 पिथौरागढ/अल्मोडा/[illegible] को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि [illegible] आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, पिथौरागढ

[illegible] 29/3

छाया प्रति प्रमाणित
अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0 पिथौरागढ